क्रम-संख्या--281

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 नवम्बर, 1976

अग्रहायण 1, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4972/सत्रह-वि-1-168-76

लखनऊ, 20 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 20 नवम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 और उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (5) में,—

(क) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(च) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ—पदेन," ;

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(च च) निदेशक, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की,—पदेन;" ।

धारा 8 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(1) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा समय-समय पर आरोपित करे, परिषद् अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के लिये ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।"

धारा 35 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना" के स्थान पर शब्द "योजना" रख दिया जायगा;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना" के स्थान पर शब्द "आवास या सुधार योजना" रख दिये जायेंगे ।

धारा 63 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 63 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(1) (क) आवास आयुक्त वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व की जाने वाली विशेष बैठक में परिषद् के समक्ष उस वर्ष के लिए परिषद् का बजट रखेगा।

(ख) प्रत्येक ऐसा बजट, ऐसे प्रपत्र में तैयार किया जायगा जो नियत किया जाय और जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था होगी:—

(1) आवास और सुधार योजनायें जिनके बारे में परिषद् का प्रस्ताव है कि उन्हें अंशतः या पूर्णतः उस वर्ष निष्पादित किया जाय;

(2) परिषद् के समस्त दायित्वों का यथोचित रूप से निर्वाह; और

(3) इस अधिनियम का दक्षतापूर्वक प्रशासन ;

और उसके साथ एक विवरणपत्र होगा, जिसमें उस वर्ष के लिए पूंजी और राजस्व लेख में अनुमानित प्राप्तियां और व्यय प्रदर्शित किये जायेंगे और उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो नियत की जायें।

(ग) परिषद् बजट पर विचार करने के पश्चात् उसे परिष्कार सहित या परिष्कार रहित स्वीकृत करेगी और उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(घ) राज्य सरकार परिषद् द्वारा स्वीकृत बजट का अनुमोदन कर सकती है, या उसे ऐसे परिष्कारों के लिए, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, परिषद् को लौटा सकती है ।

(ङ) जब कोई बजट इस प्रकार लौटाया जाय तब परिषद् तत्काल ऐसे परिष्कार करेगी और इस प्रकार परिष्कृत बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी जिसका अनुमोदन वह तब कर सकती है ।

(च) आवास आयुक्त उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके लिए राज्य सरकार ने बजट का अनुमोदन किया है, किसी समय परिषद् के समक्ष अनुपूरक बजट रख सकता है और ऐसे अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में इस उपधारा के पूर्ववर्ती उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे ।"

6--उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 में,--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 59 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में,--

(एक) कोष्ठक और शब्द "(उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जो, उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञापित की गई हो तथा जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् 'चालू आवास परिषद् स्कीम' कहा गया है)" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्--

"(उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जो, उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञापित की गई हो, या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन विज्ञापित किया गया हो, तथा जो तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन जारी रखने के लिए अनुमोदित की जाएं, या जिन्हें ऐसी घोषणा के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रारम्भ किया जाय, जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् 'विशेष आवास परिषद् स्कीम' कहा गया है)";

(दो) शब्द "और उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन कार्यवाहियों के जारी रहने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी और नियंत्रक प्राधिकारी की शक्ति क्रमशः उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में निहित होगी" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्--

"और ऐसे सभी कार्य जिन्हें यदि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 निलम्बित न होता तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी और नियंत्रक प्राधिकारी कर सकते, और जिन्हें ऐसे निलंबन के पश्चात् उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 प्रयुक्त होने के कारण, अब भी किया जा सकता है, को करने की शक्ति क्रमशः उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष में निहित होगी।"

(ख) उपधारा (13) में शब्द "चालू आवास परिषद् स्कीम" के स्थान पर शब्द "विशेष आवास परिषद् स्कीम" रख दिये जायेंगे।

No. 4972 (2) /XVII-V-1--168-76

Dated Lucknow, November 20, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Vikas Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhaya 47 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 20, 1976:

THE UTTAR PRADESH URBAN DEVELOPMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 1976

(U. P. Act no. 47 of 1976)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, and the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :--

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Development Laws (Amendment) Act, 1976. Short title.

Amendment of section 3 of U.P. Act 1 of 1966.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (5),—

(*a*) *for* clause (*f*), the following clause shall be *substituted,* namely :—

"(*f*) the Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam, Lucknow *ex-officio*;";

(*b*) *after* clause (*f*), the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(*ff*) the Director, Central Building Research Institute, Roorkee, *ex-officio*;".

Amendment of section 8.

3. In section 8 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(1) Subject to such control and restrictions as may from time to time be imposed by the State Government, by special or general orders, the Board may appoint such officers and servants as it considers necessary for the efficient performance of its functions."

Amendment of section 35.

4. In section 35 of the principal Act—

(*a*) in the marginal heading, *for* the words "Malin Basti Sudhar Aur Nipatan Yojna" the words "a scheme" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (1), *for* the words "Malin Basti Sudhar Aur Nipatan Yojna (Slum Improvement and clearance scheme)", the words "housing or improvement scheme" shall be *substituted.*

Amendment of section 63.

5. In section 63 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted, namely* :—

"(1) (*a*) The Housing Commissioner shall lay before the Board, at a special meeting to be held before the commencement of a financial year, a budget of the Board for that year.

(*b*) Every such budget shall be prepared in such form as may be prescribed and shall make provision for—

(i) the housing and improvement schemes which the Board proposes to execute whether in part or whole during that year;

(ii) the due fulfilment of all the liabilities of the Board; and

(iii) the efficient administration of this Act;

and shall contain a statement showing the estimated receipts and expenditures on capital and revenue accounts for that year, and such other particulars as may be prescribed.

(*c*) The Board shall after considering the budget sanction it with or without modifications, and submit the same to the State Government for approval.

(*d*) The State Government may either approve the budget as sanctioned by the Board, or return it to the Board for such modifications as the State Government may direct.

(*e*) Where a budget is so returned the Board shall forthwith make such modifications and submit the budget as so modified to the State Government, which may then approve it.

(*f*) The Housing Commissioner may, at any time during the financial year for which a budget has been approved by the State Government, lay before the Board a supplementary budget and the foregoing provisions of this sub-section shall *mutatis mutandis* apply to such supplementary budget."

6. In section 59 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, as re-enacted by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974,— Amendment of section 59 of President's Act 11 of 1973 as re-enacted by U. P. Act 30 of 1974.

(*a*) in sub-section (1), in clause (*a*),—

(*i*) *for* the brackets and words " (except in relation to those housing and improvement schemes which have been notified under section 32 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, before the declaration of the area comprised therein as development area, hereinafter in this section referred to as continuing Avas Parishad Schemes) " the following shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

" (except in relation to those housing or improvement schemes which have either been notified under section 32 of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 before the declaration of the area comprised therein as development area or which having been notified under section 28 of the said Adhiniyam before the said declarations are thereafter approved by the State Government for continuance under the said Adhiniyam or which are initiated after such declaration with the approval of the State Government, hereinafter in this section referred to as Special Avas Parishad Schemes) " ;

(ii) *for* the words "and for the purpose of continuance of proceedings under the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958, the powers of the prescribed authority and the controlling authority under that Act shall vest respectively in the Vice-Chairman and the Chairman" the following words shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely—

"and the powers, for doing anything which could, but for such suspension of the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958, be done by the prescribed authority and controlling authority and which can, after such suspension be done by virtue of the application of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, shall vest in the Vice-Chairman and the Chairman respectively" ;

(*b*) in sub-section (13), *for* the words "continuing Avas Parishad Schemes" the words "Special Avas Parishad Schemes" shall be *substituted*.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।